दूरभाष/Phone:+91-7564-234729/234743
ईमेल/Email: fmti-mp@nic.in

वेबसाइट/website: fmttibudni.gov.in

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS' WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, पी.ओ. बुदनी (म.प्र) 466445

TRACTOR NAGAR P.O., BUDNI (M.P.) 466 445

फा.सं..:DIR/PA/1-2/2017

दिनांकः 01/06/2020

परिपत्र

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 30.05.2020 द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाई गई है तथा अन्य सभी स्थानों पर चरणबद्ध रूप से सभी गतिविधियाँ प्रारम्भ करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में सभी के स्वास्थ्य के हित में तथा उक्त वायरस के संक्रमण से बचाव तथा उसकी रोकथाम हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. कार्यालय द्वारा उक्त संक्रमण से बचाव हेतु समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश तथा सुरक्षात्मक उपाय यथावत लागू रहेंगे।
2. संस्थान परिसर में मास्क धारण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्थान परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा तथा केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास आरोग्य सेतु एप हो तथा वह सुरक्षित स्थिति दर्शाता हो।
4. संस्थान में प्रवेश केवल कॉलोनी प्रवेश द्वार से होगा तथा प्रवेश के समय तापमान स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन अनिवार्य होगा। कार्यालय द्वार से प्रवेश केवल आपातकाल अथवा अनुमति प्राप्त बड़े वाहनों के लिए होगा।
5. सभी अधिकारी, कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कंपनी प्रतिनिधि, कॉलोनीवासी तथा अन्य कामगार सामाजिक दूरी से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे समूह में एकत्र नहीं होंगे।
6. कंटेनमेंट जोन/रेडजोन से अथवा लोक परिवहन द्वारा यात्रा करके आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कंपनी प्रतिनिधि अथवा कॉलोनीवासी को अनिवार्य रूप से मेडिकल जाँच कराना होगी तथा चिकित्सक के परामर्श का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही होगा।
7. सभी अधिकारी, कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कंपनी प्रतिनिधि, कॉलोनीवासी तथा अन्य कामगार उक्त संक्रमण जैसे लक्षण उत्पन्न होने अथवा संदेह होने पर चिकित्सा जाँच अनिवार्य रूप से करायें तथा अधोहस्ताक्षरी को इससे अवगत करायेंगे।

(अरूण कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)/कार्यालयाध्यक्ष
कृते निदेशक

वितरण:

1. सभी अनुभाग अधिकारी:–अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालन हेतु। (I·E·/D·D·O·)
2. सभी सूचना पट्ट: प्रशासन/प्रशिक्षण/परीक्षण/कॉलोनी द्वार/मुख्य द्वार/छात्रावास/फार्म।
3. सभी कंपनी प्रतिनिधि।
4. सुरक्षा अधिकारी: कृपया सुरक्षा कर्मियों को उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत करायें।

प्रतिलिपि: निदेशक